

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/वे0नि0—08—10/2004

पटना, दिनांक:—

श्री अनुप कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 02.01.2025 से 30.01.2025 तक कुल 29 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में दिनांक 01.01.2025 तक देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त $(300-29=271)$ (दो सौ एकहतर) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

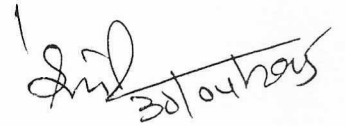
वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/वे0नि0—08—10/2004 1915

पटना, दिनांक:—05/05/25

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अनुप कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।